(43)

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक– प. 17(2) शिक्षा–2/2003 दिनांक : 13/6/17

8

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

विषय : राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम–1971 के नियम–6डी के तहत पंचायतीराज विभाग के तृतीय श्रेणी अध्यापकों का सैट–अप परिवर्तन कर शिक्षा विभाग में लेने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 15.03.2017 तथा कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक–एफ. 2(6) डीओपी/ए–II/84 दिनांक 29.05.2017

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्रों के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि कार्मिक विभाग की सन्दर्भित अधिसूचना के अनुसार पंचायतीराज विभाग के तृतीय श्रेणी अध्यापकों का सैट–अप परिवर्तन कर माध्यमिक शिक्षा में लेने हेतु अनुभव "5 वर्ष" के स्थान पर "3 वर्ष" संशोधित कर दिया गया है।

अतः कार्मिक (क–2) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक–एफ. 2(6) डीओपी/ए–II/84 दिनांक 29.05.2017 के क्रम में इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 15.03.2017 के अनुसार कार्यवाही सम्पादित करवाने का श्रम करावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

13.6.17

(कौशल्या आबुसरिया)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त उपनिदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, सम्भाग.....
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, जिला.....

अनुभागाधिकारी 13/6/2017